

E.C




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

बुधराम पातर

बनाम

त्रितीयन अट्टि

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....115...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ...लमाड... के अप्राथमिकी सं०-33/17 दिनांक 07.08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीनी विवाद की लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11/09/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	
11-09-17	<p>अभिलेख उपस्थापित 1 प्रथम पक्ष उपस्थापित द्वितीय पक्ष - अनुपस्थापित 1 दिनांक 06-10-17 को 2500</p> <p> 11/09/17</p>	

(5)

पृष्ठ सं०-

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

इसका वाद में 6 (छः) माह की
अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः वाद
में अपिलेशन की कारवाई बन्द की
जाती है।

23/4/18